

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/3/2026

रजिस्टर्ड नम्बर
2026/3

प्रवेश तिथि
01.1.2026

निर्णय दिनांक
01.01.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती वन्दना पत्नी ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा सा. मोहल्ला पंसारी बाजार अलवर, तहसील व जिला अलवर राज0।


—अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र विरुद्ध आवंटन
दिनांक 20.07.1989

उपस्थित:-

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी



तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम रुंधबीनक, तहसील व जिला अलवर की हाल आराजी खसरा नं. 10 रकबा 0.71 हैक्टेयर, खसरा नं. 103 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नं. 104 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं. 105 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नं. 107 रकबा 0.89 हैक्टेयर, खसरा नं. 11 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 12 रकबा 0.25 हैक्टेयर, किस्म बारानी प्रथम भूमि का 25 वर्षों हेतु वन विकास के लिए आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गया।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाके ग्राम रुंध बीनक में साबिक खसरा नंबर 71 रकबा 5 बीघा, 85 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 86 रकबा 5 बीघा, 87 रकबा 5 बीघा कुल किता 04 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 10 रकबा 0.71 है., 11 रकबा 0.30 है., 12 रकबा 0.25 है. 103 रकबा 1.27 है. 104 रकबा 0.60 है. 105 रकबा 0.66 है., 107 रकबा 0.89 है. कुल किता 07 रकबा 4.68 है. का आवंटन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के आदेश क्रमांक 52 दिनांक 20.07.1989 की पालना में जरिये नामा० सं० 130 दिनांक 18.12.1989 से सिवायचक लगानी के नाम दर्ज भूमि को निजी वन विकास हेतु श्रीमती वन्दना स्त्री ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा सा० मोहल्ला पंसारी बाजार अलवर लीज होल्डर 25 वर्ष हेतु (दिनांक 07.09.2013 तक) निजी वन विकास हेतु आवंटन किया गया था। जिस संबंध में उक्त आवंटन निरस्त हेतु बिन्दूवार निवेदन निम्नानुसार है:-

वाके ग्राम रुंध बीनक नामान्तरकरण सं० 130 दिनांक 20.07.1989 द्वारा श्रीमान उपखण्ड - अधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक 52 दिनांक 20.07.1989 की पालना में सिवायचक लगानी के नाम दर्ज भूमि को निजी वन विकास हेतु श्रीमती वन्दना स्त्री ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा सा० मोहल्ला पंसारी बाजार अलवर लीज होल्डर 25 वर्ष हेतु दिनांक 07.09.2013 तक निजी वन विकास हेतु आवंटन किया गया था। सुलभ सन्दर्भ हेतु नकल नामा० सलंगन है।

उक्त नामान्तरकरण में उक्त आवंटन 25 वर्षों हेतु किया जाने बाबत स्पष्ट अंकन है साथ ही दिनांक 07.09.2013 तक आवंटन किया जाना भी स्पष्ट अंकित है। उक्त प्रासंगिक खसरा नंबर साबिक 71 रकबा 5 बीघा, 85 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 86 रकबा 5 बीघा, 87 रकबा 5 बीघा कुल किता 04 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 10 रकबा 0.71 है., 11 रकबा 0.30 है., 12 रकबा 0.25 है. 103 रकबा 1.27 है. 104 रकबा 0.60 है. 105 रकबा 0.66 है., 107 रकबा 0.89 है. बने है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वर्तमान जमाबन्दी हाल खसरा नंबर 10 रकबा 0.71 है., 11 1.27 हे. 104 रकबा 0.60 है. 105 रकबा रकबा 4.68 है. श्रीमती वन्दना स्त्री ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा सा० मौहल्ला पंसारी बाजार अलवर लीज होल्डर 25 वर्ष हेतु दिनांक 07.09.2013 तक निजी वन विकास हेतु के लिए हिस्सा पूर्ण निजी दर्ज रिकॉर्ड है। ऑन लाईन के खाता सं० 58 पर उक्त खसरा रकबा 0.30 है., 12 रकबा 0.25 है. 103 रकबा 0.66 है., 107 रकबा 0.89 है. कुल किता 07 रकबा 4.68 हैक्टियर श्रीमती वन्दना पत्नी ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा सा० मौहल्ला पंसारी बाजार अलवर लीज होल्डर 25 वर्ष हेतु दिनांक 07.09.2013 तक निजी वन विकास के लिए हिस्सा पूर्ण निजी दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त नामा० के आधार पर आवंटी का नाम तत्समय की जमाबन्दी से वर्तमान जमाबन्दी तक बदस्तूर चला आ रहा है। जबकि आवंटन की शर्तों अनुसार 25 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। आवंटी अथवा उसके किसी भी विधिक वारिसानों द्वारा असालतन या वकालतन उक्त अवधि को वृद्धि कराये जाने बाबत कोई भी आवेदन इस कार्यालय में अथवा श्रीमान के समक्ष नहीं किया गया है तथा ना ही इस बाबत कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराये गये है। रिपोर्ट पटवारी हल्का पैतपुर आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं है तथा प्रासंगिक भूमि वर्तमान में निजी वन विकास के काम भी नहीं आ रही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रकरण में आवंटन का समय समाप्त होने व वर्तमान में आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किये जाने की अभिशंका के साथ अग्रिम उचित आदेशार्थ श्रीमान की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहास सुनी। हस्तगत प्रकरण तहसीलदार, अलवर द्वारा जरिये राजकीय अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया है कि ग्राम रूंध बीनक में साबिक खसरा नंबर 71 रकबा 5 बीघा, 85 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 86 रकबा 5 बीघा, 87 रकबा 5 बीघा कुल किता 04 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 10 रकबा 0.71 है., 11 रकबा 0.30 है., 12 रकबा 0.25 है. 103 रकबा 1.27 हे. 104 रकबा 0.60 है. 105 रकबा 0.66 है., 107 रकबा 0.89 है. कुल किता 07 रकबा 4.68 हैक्टियर, किस्म बारानी प्रथम, जो कि अप्रार्थी श्रीमती वन्दना स्त्री ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा सा० मौहल्ला के पक्ष में दिनांक 20.07.1989 को 25 वर्षों के लिए 'निजी वन विकास' हेतु आवंटित की गई थी, उसे निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी के आदेश क्रमांक 52 दिनांक 20.07.1989 के द्वारा सिवायचक लगानी भूमि को 25 वर्ष की लीज पर निजी वन विकास हेतु किया गया था। इस आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 130 दिनांक 20.07.1989 तस्दीक हुआ। वर्तमान जमाबन्दी (खाता सं. 58) में उक्त भूमि "श्रीमती वन्दना स्त्री ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा लीज होल्डर 25 वर्ष" के रूप में दर्ज है। आवंटन की मूल शर्त के अनुसार 25 वर्ष की समयावधि वर्ष 2013 में ही समाप्त हो चुकी है तथा आवंटी या उनके वारिसान द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार, मौके पर आवंटी का कोई कब्जा नहीं है और न ही भूमि का उपयोग "निजी वन विकास" के लिए किया जा रहा है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, जमाबन्दी, नामान्तरकरण की प्रति और पटवारी/तहसीलदार की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवंटन दिनांक 20.07.1989 को 25 वर्षों की निर्धारित अवधि के लिए किया गया था। यह अवधि दिनांक 07.09.2013 को स्वतः समाप्त हो चुकी है। आवंटन का मुख्य उद्देश्य "वन विकास" था। मौका रिपोर्ट यह पुष्टि करती है कि भूमि पर वन विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है और आवंटी का कब्जा भी नहीं है। राजस्थान भूमि आवंटन नियमों के तहत, यदि आवंटन की शर्तों (समय सीमा और भूमि का उपयोग) का उल्लंघन होता है, या लीज अवधि समाप्त होने के बाद नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, तो भूमि को पुनः सरकार में निहित किया जाना विधि सम्मत है। चूंकि लीज अवधि समाप्त हुए एक लम्बा अरसा बीत चुका है और भूमि उद्देश्यहीन पड़ी है, अतः आवंटन को बदस्तूर रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, प्रार्थी (सरकार जरिये तहसीलदार अलवर) का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। लीज अवधि की समाप्ति और शर्तों की अवहेलना (वन विकास न करना व कब्जा न होना) के कारण उक्त आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

अतः प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार अलवर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रुंध बीनक में साबिक खसरा नंबर 71 रकबा 5 बीघा, 85 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 86 रकबा 5 बीघा, 87 रकबा 5 बीघा कुल किता 04 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 10 रकबा 0.71 है., 11 रकबा 0.30 है., 12 रकबा 0.25 है. 103 रकबा 1.27 है. 104 रकबा 0.60 है. 105 रकबा 0.66 है., 107 रकबा 0.89 है. कुल किता 07 रकबा 4.68 हैक्टेयर, जिसका आवंटन आदेश क्रमांक 52 दिनांक 20.07.1989 द्वारा अप्रार्थी श्रीमती वन्दना स्त्री ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में 25 वर्षों के लिए किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में से अप्रार्थी (आवंटी) का नाम खारिज करें। उक्त भूमि को "सिवायचक" (राजकीय भूमि) के रूप में दर्ज कर, मूल विभाग या जैसा भी राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति हो, उसके अनुरूप अमलदरामद सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)

अतः प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार अलवर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम रुंध बीनक में साबिक खसरा नंबर 71 रकबा 5 बीघा, 85 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 86 रकबा 5 बीघा, 87 रकबा 5 बीघा कुल किता 04 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 10 रकबा 0.71 है., 11 रकबा 0.30 है., 12 रकबा 0.25 है. 103 रकबा 1.27 है. 104 रकबा 0.60 है. 105 रकबा 0.66 है., 107 रकबा 0.89 है. कुल किता 07 रकबा 4.68 हैक्टेयर, जिसका आवंटन आदेश क्रमांक 52 दिनांक 20.07.1989 द्वारा अप्रार्थी श्रीमती वन्दना स्त्री ब्रजेन्द्र कुमार शर्मा के पक्ष में 25 वर्षों के लिए किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में से अप्रार्थी (आवंटी) का नाम खारिज करें। उक्त भूमि को "सिवायचक" (राजकीय भूमि) के रूप में दर्ज कर, मूल विभाग या जैसा भी राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति हो, उसके अनुरूप अमलदरामद सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति० जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)